फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कादरीगेट

दिनांक – 07.08.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का 01 इनामिया अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रंजीत पुत्र रघवीर उर्फ लीलू निवासी ग्राम दयालपुर थाना IMT सदर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. रंजीत पुत्र रघवीर उर्फ लीलू निवासी ग्राम दयालपुर थाना IMT सदर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.07.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि थाना कादरीगेट क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों ने वादिनी के पति अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रोहित पुत्र हरिचन्द्र निवासी दयालपुर, बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) आदि 03 नफर पंजीकृत कर थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र नरेन्द्र डागर निवासी ग्राम धतीर थाना गदपुरी जिला पलवल (हरियाणा) व 01 बाल अपचारी को 01 नाजायज पिस्टल मैगजीन.32 बोर सहित व 07 जिंदा कारतूस .32 बोर, 3340 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 कार मारुती सुजूकी फ्रांक्स बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार कर दिनांक 31.07.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है । विवेचना के क्रम में अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त रंजीत पुत्र रघवीर उर्फ लीलू निवासी ग्राम दयालपुर थाना IMT सदर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) को अन्तर्गत धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त रंजीत उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि रोहित मेरा खास दोस्त है, अमित मेरे चाचा का लडका है तथा सोनू पुत्र नरेन्द्र भी मेरा दोस्त है जिससे मेरी मुलाकात जेल में हुई थी मैं अपने गांव के नीरज के मर्डर केस में जेल गया था, अभी जमानत पर हूँ। करीब एक साल पहले एक जमीन की बिक्री कराने को लेकर रोहित और अरुण में वाद-विवाद हुआ था जिसको लेकर अरुण ने रोहित को कई बार गाली गलौज की थी। मेरा रोहित के साथ उठना बैठना था इसीलिए अरुण मुझसे व मेरे परिवार के लोगो से भी रंजिश मानता था। इसलिए हमने अरूण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जब रोहित को पता चला कि अरूण कही घूमने गया है, तब हमने अमित, साहिल व उसके दोस्त को असलाह व पैसा लेकर अरुण के पीछे भेज दिया तथा उसका पीछा करते-करते फर्रूखाबाद पहुँचे और वहाँ मौका पाकर साहिल ने गोली मारकर अरूण की हत्या कर दी । मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त रंजीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1)/61 (2) बीएनएसरा व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट ।
02. मु0अ0सं0 69/15 धारा 148/149/302/307/323/452/506 भादवि व धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना IMT सदर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार 02. कां0 पंकज कुमार 03. का0 अनिल कुमार

गिरफ्तार करने वाली द्वितीय टीम –

01. उ0नि0 श्री संतकुमार प्रभारी एसओजी/ सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।